

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] No. 40] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2019/माघ 2, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2019/MAGHA 2, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 41(अ).—केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 189 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (यघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें) तृतीय संशोधन नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम 2016 में, नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "9. भविष्य निधि और पेंशन- अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 और अंशदायी पेंशन प्रणाली के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

[फा. सं. 30/3/2016-दिवाला]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. संख्या 831(अ) तारीख 29 अगस्त, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके पश्चात् सा.का.नि. संख्या 153(अ) तारीख 9 फरवरी, 2018 और सा.का.नि. सं. 1083(अ) तारीख 2 नवंबर, 2018 द्वारा संशोधित किये गए थे।

399 GI/2019 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2019

- **G.S.R. 41(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (zd) of sub-section (2) of section 239, read with sub-section (5) of section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Rules, 2016 namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Chairperson and members) third Amendment Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Services of Chairperson and members) Rules, 2016, for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:—
 - "9. Provident Fund and Pension—The Chairperson and whole-time members shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 and the Contribution Pension System".

[F. No. 30/3/2016-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: principal rules were published *vide* number G.S.R. 831(E), dated the 29th August, 2016 and subsequently amended *vide* number GSR 153(E) dated the 9th February, 2018 and number G.S.R. 1083(E), dated the 2nd November, 2018.